



कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हनुमानगढ़

वैकल्पिक विवाद निस्तारण केन्द्र भवन, हनुमानगढ़ जंक्शन, हनुमानगढ़
हेल्पलाईन न. 8306002118 ई-मेल dlsa16hanumangarh@gmail.com

क्रमांक :- डीएलएसए/पै. अधि./2026/4623

दिनांक:- 15/6/26

प्रेषित :- सिस्टम ऑफिसर
जिला न्यायालय, हनुमानगढ़।

विषय:- अधिवक्तागण के नवीन पैनल के गठन हेतु चयन की अंतिम तिथि बढ़ाने के संबंध में।

संदर्भ :- माननीय रालसा जयपुर के पत्रांक एफ 02(137)/2025/रालसा/पै.अधि./DS-1/15847-15890 दिनांक 13.06.2026।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भिक पत्र के क्रम लेख है कि माननीय रालसा, जयपुर द्वारा जिला मुख्यालय एवं तालुका स्तर पर पैनल अधिवक्ताओं के चयन के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की अंतिम तिथि 10.07.2026 सांय 05:00 बजे तक बढ़ाई जाती है। उक्त दिनांक के पश्चात अंतिम तिथि किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाई जावेगी। उक्त संशोधित दिनांक को जिला न्यायालय की वेबसाइट पर अपडेट करें।

सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
हनुमानगढ़



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

विधिक सेवा सदन, विधिक सेवा मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line: 15100/9928900900)

E-Mail: rslsajp@gmail.com, rs-slsa@nic.in, Website: https://rajasthan.nalsa.gov.in/

क्रमांक:-एफ 2(137)/2025/रालसा/पै.अधि./DS-I/ 373

दिनांक :- 27/5/2026

:: विज्ञप्ति ::

राजस्थान के समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक सेवा समितियों के लिए जिला मुख्यालय एवं तालुक स्तर पर स्थित विभिन्न न्यायालयों, मंचों एवं अधिकरणों में प्रेक्टिस करने वाले समस्त विधि व्यवसायियों/अधिवक्तागण को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण/राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न विधिक सेवा/योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु "पैनल अधिवक्ता" के रूप में चयन करने हेतु विधि व्यवसायियों/अधिवक्ताओं से आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

पात्रता :-

प्रत्येक विधि व्यवसायी या अधिवक्ता, जो बार काउंसिल से पंजीकृत हो एवं न्यूनतम लगातार तीन वर्षों का विधि व्यवसायी के रूप में नियमित वकालत का अनुभव रखता हो।

नोट :-

1. विधि व्यवसायी से तात्पर्य अधिवक्ता अधिनियम 1961 (1961 का 25 की धारा 2 के खण्ड 'झ') में यथा परिभाषित से है।
2. पैनल (1) दाण्डिक (2) सिविल (3) राजस्व एवं (4) बाल न्यायालय/जे.जे.बी./पोक्सो/सी.डब्ल्यू.सी. वर्ग के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति के द्वारा पृथक-पृथक तैयार किए जाएंगे।
3. सिविल पैनल में सभी सिविल प्रकृति के वाद एवं निष्पादन कार्यवाही, एमएसीटी क्लेम, वैवाहिक विवाद, किराया नियंत्रण अधिनियम, श्रम व नियोजन संबंधी विवाद, औद्योगिक विवाद, पर्यावरण संबंधी विवाद, वाणिज्यिक विवाद, रेल दावे के वाद, कर संबंधी विवाद, जेडीए, वक्फ बोर्ड संबंधी, उपभोक्ता मंच, सेवा संबंधी मामले, सहकारित वाद, गैर सरकारी शैक्षणिक अधिकरण, परिवहन अधिकरण, परिवहन अधिकरण संबंधी वाद तथा सभी न्यायालय/अधिकरण/मंच में लम्बित अन्य दीवानी प्रकृति के वाद शामिल रहेंगे।
4. दाण्डिक पैनल में धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण-पोषण के वाद, घरेलू हिंसा, परक्राम्य लिखत अधिनियम, पीसीपीएनडीटी, एसीडी न्यायालय, एनडीपीएस न्यायालय, सीबीआई न्यायालय से संबंधित मामले तथा अन्य सभी आपराधिक प्रकरण सम्मिलित हैं।
5. आवेदक द्वारा ऐसे पांच प्रकरणों के निर्णय/अन्तिम आदेशों की सत्यपित प्रतिलिपियां संलग्न करना आवश्यक होगा, जिनमें आवेदक के द्वारा व्यक्तिगत रूप से बहस की गई हो और ऐसा प्रकरण गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया गया हो, परन्तु इसके अन्तर्गत -

- (क) धारा-13बी, हिन्दु विवाह अधिनियम, 1955 के आदेश, जुर्म स्वीकारोक्ति से हुए निर्णय/आदेश, जमानत प्रार्थना-पत्रों पर दिए गए आदेश एवं अन्तर्वर्ती आदेशों, पर दिए गए आदेश एवं अन्तर्वर्ती आदेशों को समाहित नहीं किया जाएगा, किन्तु अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना-पत्रों पर दिया गया अंतिम आदेश विचारार्थ उपयुक्त होगा।
- (ख) 05 निर्णय/ अंतिम आदेशों की संख्या की गणना में राजीनामों से निस्तारित अधिकतम 02 प्रकरणों के निर्णय/ आदेश/ अवॉर्ड विचारार्थ स्वीकार्य होंगे।
- (ग) 05 निर्णय/अंतिम आदेशों की संख्या की गणना में जमानत प्रार्थना पत्रों पर दिए गए अधिकतम 02 आदेश विचारार्थ स्वीकार्य होंगे।
- (घ) यदि निर्णय या आदेश में आवेदक के स्थान पर उसके वरिष्ठ अधिवक्ता का नाम अंकित है, तो उस स्थिति में यदि उस पत्रावली के वकालतनामों पर आवेदक का नाम व हस्ताक्षर अंकित है और वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा सादे कागज पर यह प्रमाणित किया जाता है की बहस में उसके साथ आवेदक के द्वारा भी भाग लिया गया था, तो उस अंतिम आदेश को भी 05 निर्णय की संख्या में समाहित माना जावेगा।

- (ड) यदि किसी अधिवक्ता द्वारा इस आशय का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जाता है कि उसके पास निर्णय/अंतिम आदेश की एकमात्र सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध है तथा वे एक से अधिक प्राधिकरण/समिति के समक्ष आवेदन कर रहे हैं व ऐसी सत्यापित प्रतिलिपि उनके द्वारा अन्य प्राधिकरण/समिति के समक्ष पेश की जा चुकी है, तो उन्हें ऐसे निर्णय/ अंतिम आदेश की स्व-प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करने की अनुमति दी जा सकेगी।
- (च) यदि किसी अधिवक्ता द्वारा इस आशय का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जाता है कि उसके पास निर्णय /अंतिम आदेश की एकमात्र सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध है तथा चयन प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात् वे स्वयं के रिकॉर्ड के लिए ऐसी सत्यापित प्रतिलिपि पुनः प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसी सत्यापित प्रतिलिपि के साथ-साथ एक स्व-प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने की शर्त पर, चयन प्रक्रिया समाप्त होने के उपरान्त, सत्यापित प्रतिलिपि लौटाई जा सकेगी।
6. उक्त पैनल एक वर्ष की अवधि के लिए गठित किया जाएगा, जो अधिकतम तीन वर्ष तक नवीनीकृत किया जा सकेगा।
 7. पैनल अधिवक्तागण को वितरित किए जाने वाले कार्यों की संख्या के आधार पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक सेवा समितियों के लिए पैनल अधिवक्तागण की संख्या नियत की गई है, जिसकी जानकारी संबंधित प्राधिकरण/समिति से प्राप्त की जा सकती है। पैनल में एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., एस.बी.सी., महिला और दिव्यांग अधिवक्तागण का यथा संभव अनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा।
 8. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा) सेशोधन विनियम, 2018 के विनियम 8 के खण्ड (6) के अनुसार पैनल में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, महिलाओं और दिव्यांग वकीलों का प्रतिनिधित्व अनुपातिक प्रतिनिधित्व का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ध्यान रखा जायेगा।
 9. पैनल बनाते समय यदि निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन योग्य पाए जाते हैं, जो प्राप्त आवेदनों में से यथासंभव अनुभव की वरिष्ठता के आधार पर निर्धारित संख्या अनुसार पैनल अधिवक्तागण का चयन किया जाएगा तथा यदि 02 या अधिक आवेदक समान अनुभव रखते हैं तो ऐसी स्थिति में युवा अधिवक्ता को प्राथमिकता दी जावेगी।
 10. रिटेनर अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किए जाने पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010 के अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति के फ्रंट ऑफिस में बैठकर विधिक सेवा प्रदान करने हेतु तैयार व तत्पर होना होगा।
 11. आवेदक विधिक सेवा प्रदत्त प्रकरणों में पैरवी हेतु स्वयं को उपलब्ध करवायेगा और किसी भी ऐसे प्रकरण में पैरवी नहीं करेगा, जिनमें उसके द्वारा विपक्षी पक्षकार को विधिक सहायता प्रदान की गई हो।
 12. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010 एवं इस संबंध में राज्य प्राधिकरण के द्वारा बनाए गए विनियम तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों के अनुसार पैनल अधिवक्तागण को मानदेय एवं अन्य खर्च देये होंगे।
 13. आवेदक इस तथ्य की अण्डरटेकिंग देगा कि वह पैनल /रिटेनर अधिवक्ता के रूप में चयनित किए जाने पर विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 एवं उसके तहत बनाये गए नियम, विनियम एवं बनाई गई योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जारी निर्देशों की निष्ठा पूर्वक पालना करेगा। पैनल /रिटेनर अधिवक्ता के रूप में, जो प्रकरण उसे पैरवी के लिए सुपुर्द किए जावेंगे, वह उन संबंधित व्यक्तियों से कोई शुल्क, पारिश्रमिक व अन्य मूल्यवान प्रतिफल की मांग नहीं करेगा और न ही प्राप्त करेगा।
 14. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 एवं उनके तहत बनाए गए नियम, विनियम एवं उनके अंतर्गत बनायी गयी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं समय-समय पर जारी निर्देशों एवं शर्तों के अधीन पैनल अधिवक्तागण विधिक सेवाएं प्रदान करेंगे।
 15. यदि नियुक्त पैनल अधिवक्ता के द्वारा संतोषजनक कार्य नहीं किया जाता है या उसके द्वारा अधिनियम और विनियम के उद्देश्य और भावना के प्रतिकूल कोई कार्य किया जाता

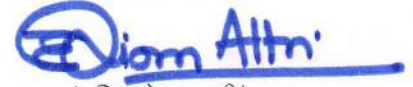
है, तो उससे उसको सौंपा गया कार्य/मामला वापस लिया जा सकेगा और साथ ही किसी भी समय बिना नोटिस दिए उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी और उसके प्रति कोई आपत्ति भी स्वीकार नहीं की जाएगी।

16. नियुक्त पैनल अधिवक्ता को प्राधिकरण/समिति के द्वारा तैयार किए गए मॉड्यूल के अनुसार समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना आवश्यक रहेगा।
17. आवेदन के साथ अनुभव प्रमाण-पत्र एवं अन्य दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है।

आवश्यक दस्तावेज:-

1. बार कॉउंसिल द्वारा जारी सनद की प्रति;
2. अनुभव प्रमाण-पत्र;
3. पांच प्रकरणों के निर्णय/अन्तिम आदेशों की सत्यापित प्रतिलिपि, जिसमें आवेदक द्वारा व्यक्तिगत रूप से बहस की गई हो;
4. यदि आवेदक एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., एस.बी.सी. या दिव्यांग श्रेणी में आवेदन प्रस्तुत करना चाहता है, तो संबंधित श्रेणी हेतु उचित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र
5. जन्म दिनांक प्रमाण
6. अन्य उचित दस्तावेज व्यक्तिशः अथवा डाक के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति (जिस स्थान के पैनल में सम्मिलित होना चाहता है), के कार्यालय में दिनांक 15.06.2026 को सायं 5.00 बजे तक प्रस्तुत करना होगा तथा उक्त तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को विचारार्थ उपयुक्त नहीं माना जाएगा।

आज्ञा से



(हरि ओम अत्री)

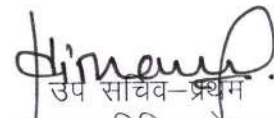
सदस्य सचिव

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर

क्रमांक:-एफ 2(137)/2025/रालसा/पै.अधि./DS-I/13663-680 दिनांक :- 27/05/2026

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है :-

1. रजिस्ट्रार जनरल महोदय, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
2. अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
3. रजिस्ट्रार कम सी.पी.सी., राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंच, जयपुर।
4. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
5. जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान जरिए सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण।
6. अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, जरिए सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण।
7. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ-समस्त न्यायालय/अधिकरण/मंच, समस्त राजस्थान जरिए सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण।
8. नोटिस बोर्ड, समस्त जिला एवं सेशन न्यायालय / समस्त न्यायालय / तालुका विधिक सेवा समिति/अधिकरण/ मंच
9. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
10. वेबसाइट, रालसा/ जिला न्यायालय, समस्त राजस्थान



उप सचिव-प्रथम
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

विधिक सेवा सदन, विधिक सेवा मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line: 15100/9928900900)

E-Mail: rslsajp@gmail.com, rs-slsa@nic.in, Website: https://rajasthan.nalsa.gov.in/

क्रमांक:-एफ 2(137)/2025/रालसा/पै.अधि./DS-I / 13661-13662

दिनांक :- 27/05/2026

प्रेषक :-

सदस्य सचिव,
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रेषित:

अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
समस्त राजस्थान।

अध्यक्ष,
तालुका विधिक सेवा समिति,
समस्त राजस्थान।

विषय:-नाल्सा (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं) विनियम, 2010 के विनियम 8 के अधीन अधिवक्तागण का नवीन पैनल गठित किये जाने बनाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं) विनियम, 2010 के विनियम 8 के तहत राजस्थान राज्य के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों/अधिकरणों/मंचों में अपनी सक्षम विधिक सेवाएं देने के लिए अधिवक्तागण का नवीन पैनल गठित किया जाना है।

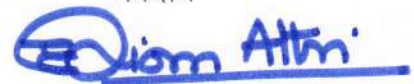
जिला मुख्यालय एवं तालुका स्तर पर पैनल अधिवक्तागण की नियुक्ति हेतु 3 साल से अधिक का वकालत का अनुभव रखने वाले इच्छुक व योग्य अधिवक्तागण द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र भरकर उसकी हार्ड कॉपी मय अवश्यक दस्तावेज (1. बार कॉउंसिल द्वारा जारी सनद की प्रति; 2. अनुभव प्रमाण-पत्र; 3. पांच प्रकरणों के निर्णय/अन्तिम आदेशों की सत्यापित प्रतिलिपि, जिसमें आवेदक द्वारा व्यक्तिगत रूप से बहस की गई हो; 4. यदि आवेदक एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., एस.बी.सी. या दिव्यांग श्रेणी में आवेदन प्रस्तुत करना चाहता है, तो संबंधित श्रेणी हेतु उचित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र 5. जन्म दिनांक प्रमाण 6. अन्य उचित दस्तावेज) व्यक्तिशः अथवा डाक के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति (जिस स्थान के पैनल में सम्मिलित होना चाहता है), के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 27.05.2026 के अनुसार सम्पूर्ण राजस्थान में एक ही तिथि दिनांक 30.05.2026 को आवेदन पत्र अमंत्रित करे।

1. प्रत्येक जिले/तालुका के लिए पैनल अधिवक्तागण की निर्धारित की गई संख्या संलग्न सूची अनुसार है।
2. उक्त पैनल एक वर्ष की अवधि के लिए गठित किया जाएगा, जो अधिकतम तीन वर्ष तक नवीनीकृत किया जा सकेगा।
3. जिला स्तर पर व तालुका स्तर पर (1) दाण्डिक (2) सिविल (3) राजस्व एवं (4) बाल न्यायालय/जे.जे.बी./पोक्सो/सी.डब्ल्यू.सी. वर्ग के लिए पृथक-पृथक पैनल तैयार किए जाने हैं।

4. जिला स्तर पर जिला न्यायावादी या राजकीय अधिवक्ता एवं विनियम 10 (4) के अधीन गठित मॉनीटरी एवं परामर्शदात्री समिति के परामर्श कर पैनल तैयार किया जावे।
5. तालुका स्तर पर राजकीय अधिवक्ता एवं विनियम 10 (5) के अधीन गठित मॉनीटरी एवं परामर्शदात्री समिति से परामर्श कर पैनल तैयार किया जावे।
6. जिन नवीन अधीनस्त न्यायालयों पर तालुका विधिक सेवा समिति का गठन नहीं किया गया है, वहाँ के पैनल गठन की सम्पूर्ण कार्यवाही संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला न्यायावादी या राजकीय अधिवक्ता एवं विनियम 10 (4) के अधीन गठित मॉनीटरी एवं परामर्शदात्री समिति के परामर्श से की जावेगी।
7. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक सेवा समितियों के लिये पैनल अधिवक्तागण का पैनल बनाते समय एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., एस.बी.सी., महिला और दिव्यांग अधिवक्तागण का आनुपातिक स्थान रखते हुये चयनित करें।
8. आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ बार काउंसिल द्वारा जारी सनद, अनुभव प्रमाण—पत्र 05 निर्णयों/अन्तिम आदेशों की प्रतियां, जन्म तिथि प्रमाण, कैटेगरी प्रमाण—पत्र एवं अन्य दस्तावेज निर्धारित तिथि दिनांक 15.06.2026 तक प्राप्त कर जांच करवाई जानी है।
9. उक्त पैनल प्रत्येक जिला एवं तालुका के लिए अलग-अलग क्षेत्र (जैसे दाण्डिक, सिविल, राजस्व एवं बाल न्यायालय/जे.जे.बी. /पोक्सो/सी.डब्ल्यू.सी. आदि) का उल्लेख करते हुए चयनित पैनल अधिवक्तागण के नाम की सूची उनके समस्त दस्तावेजात् एवं निर्णयों की प्रतियों सहित संलग्न निर्धारित प्रारूप में दिनांक 05.07.2026 को सांय 05:00 बजे तक इस कार्यालय को प्रेषित करावें, ताकि अग्रिम कार्यवाही के लिए माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय से अनुमोदन प्राप्त किया जा सके।
10. यदि निर्वचन की प्रक्रिया में किसी प्रकार की भ्रांति हो तो नालसा (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010 के प्रावधान प्रभावी रहेंगे।
11. ऑनलाईन आवेदन पत्र हेतु जिलेवार ऑनलाईन लिंक पृथक से प्रेषित किया जा रहा है।
12. नवीन पैनल तैयार करते समय अधिवक्ता की क्षमता, सत्यनिष्ठा, उपयुक्तता एवं अनुभव का विशेष ध्यान रखा जावे।

संलग्न— उपरोक्तानुसार।

भवदीय



(हरि ओम अत्री)

सदस्य सचिव

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर

APPLICATION FORM: PANEL LAWYERS FOR
DISTRICT LEGAL SERVICES AUTHORITY,
RAJASTHAN

(See: Regulation-8 of National Legal Services Authority (Free & Competent Legal Services)
Regulation, 2010 as amended)

Paste your
recent
passport size
photograph

1. FULL NAME:*
-
2. FATHER/HUSBAND NAME:*
-
3. Category* (Mark only one)
- General

Obc

Sbc

Sc

St

Differently Abled
4. Gender* (Mark only one)
- Male

Female

Others
5. Date of birth:*(DD/MM/YYYY)
-
6. (a). PERMANENT ADDRESS:*
-

(b). OFFICE ADDRESS:*

.....
.....
.....
.....
.....

(c). MOBILE NO.*

.....

(d). E-mail id.*

.....

7. (a) Applying for which Judgeship :*

.....

(b). HQ/Taluka*

.....

8. Enrolment No. with Year*

.....

9. Experience Period*

.....

(At least three year at the Bar on the last date of submission of the application)

.....

10. Field of Expertise*
(Mark only one)

Civil Category	
Criminal Category	
Revenue	
POCSO/JJB/CWC	
Cyber	

11. Annual Income (In Rs.)

.....

12. Are there any Criminal case pending against the applicant? (If yes, please give Details)*

.....
.....
.....
.....
.....

13. Are you ready to give your services as Bail/Remand Advocate, If so appointed?*(Mark only one)

Yes
No

14. Have you previously held or are currently holding, any post in the bar council or bas association? (If yes, please give details)

.....
.....
.....
.....
.....

15. Please give details (attach copies) of five judgments independently argued by applicant and decided on merits*

.....
.....
.....
.....
.....

16. Please give details (attach copies) of your sanad / category certificate / date of birth proff / Experience certificate of registration with Bar Council of Rajasthan*

.....
.....
.....
.....

18. Undertaking*

I hereby give an undertaking to the effect that if appointed I shall solemnly abide by the directions issued under the Legal Services Authorities Act, 1987 and all the rules, regulations and schemes therein. I am willing to work as a panel lawyer and while engaged as a panel lawyer I shall not ask for or receive any fee/remuneration, in any manner, from the person for whom I have been engaged by the Authorities/Committee to provide legal aid services. I also hereby give an undertaking that I have never been punished for professional misconduct. I also undertake that I shall not appear against the party to whom legal aid has been provided. I also undertake to be present whenever any legal services, General Awareness, Training or any other Public Utility Programme are organized by State Legal Services Authority, District Legal Services Authority or Taluka Legal Services Committee.

Signature

Place :

Date :

Rajasthan State Legal Services Authority, Jaipur

S. No.	District Name	No. of JJB Panel Advocates (based on Pendency)
1	Ajmer	1
2	Alwar	2
3	Balotra	3
4	Banswara	2
5	Baran	1
6	Barmer	2
7	Beawar	1
8	Bhartpur	2
9	Bhilwara	1
10	Bikaner	3
11	Bundi	2
12	Chittorgarh	2
13	Churu	1
14	Dausa	1
15	Deedwana	1
16	Deeg	2
17	Dholpur	1
18	Dungarpur	2
19	Ganganagar	2
20	Hanumangarh	1
21	Jaipur District	2
22	Jaipur metro-I	3
23	Jaiselmer	1
24	Jalore	1
25	Jhalawar	1
26	Jhunjhunu	1
27	Jodhpur Metro	3
28	Karauli	1
29	Khairthal	1
30	Kota	4
31	Kotputali	1
32	Merta	2
33	Pali	2
34	Phalodi	1
35	Pratapgarh	1
36	Rajsmad	2
37	Salumbar	1
38	Sawai Madhopur	1
39	Sikar	1
40	Sirohi	1
41	Tonk	1
42	Udaipur	4
Total		69

Rajasthan State Legal Services Authority, Jaipur

S. No.	District Name	Name of DLSC/ TLSC/Courts	S. No.	Currently, the number of panel lawyers is based on specific/ geographical circumstances and pending cases
1	Ajmer	Ajmer HQ	1	7
	TLSC	ksg	1	9
		Kishangarh	2	6
		Nasirabad	3	5
		Sarwad	4	5
		Pushkar	5	5
	New Esstablished Court (Where TLSC has not been Formed)	Pinsagan	6	2
Total			39	
2	Alwar	Alwar HQ	1	16
	TLSC	Rajgarh	1	5
		Laxmangarh	2	6
		Katumar	3	8
		Thanagazi	4	6
	New Esstablished Court (Where TLSC has not been Formed)	Raini	1	1
		Govindgarh	2	2
		Kherli mandi	3	4
		Ramgarh	4	2
		Malakheda	5	2
Total			52	
3	Balotra	Balotra HQ	1	20
	TLSC	SIWANA	2	6
	New Esstablished Court (Where TLSC has not been Formed)	SINDHARI	3	5
		PACHPADRA	4	5
Total			36	
4	Banswara	Banswara HQ	1	5
	TLSC	TLSC KUSHALGARH	1	3
		TLSC GHATOL	2	3
		TLSC BAGIDORA	3	3
		TLSC GARHI	4	3
	New Esstablished Court (Where TLSC has not been Formed)	JM COURT ANANDPURI	1	2
		GN TALWARA	2	2
Total			21	
5	Baran	Baran HQ	1	16
	TLSC	TLSC ATRU	1	5
		TLSC CHHBRA	2	18
		TLSC SHAHBAD	3	2
		TLSC CHHIPABAROD	4	3

		TLSC MANGROL	5	3
		TLSC KISANGANJ	6	1
		TLSC ANTA	7	5
		Total		48
6	Barmer	Barmer HQ	1	10
	New Esstablished Court (Where TLSC has not been Formed)	Chohatan	1	5
		Gudamalani	2	4
		shiv	3	3
		Sedwa	4	3
		Total		25
7	Beawar	Beawar HQ	1	8
	TLSC	jaitaran	1	5
		bijaynagar	2	5
		bar	3	3
	New Esstablished Court (Where TLSC has not been Formed)	JM, Masuda	1	3
		Total		24
8	Bhartpur	Bhartpur HQ	1	27
	TLSC	Bayana	1	9
		Wair	2	7
		Nadbai	3	2
		Roopwas	4	3
	New Esstablished Court (Where TLSC has not been Formed)	Bhusawar	1	4
		Ucchain	2	2
		Total		54
9	Bhilwara	Bhilwara HQ	1	15
	TLSC	Gulabpura	1	5
		Shahpura	2	5
		Gangapur	3	5
		Mandal	4	5
		Mandalgadh	5	5
		Jahajpur	6	5
		Kotdi	7	3
		Bijoliya	8	3
		Asind	9	3
	New Esstablished Court (Where TLSC has not been Formed)	ACJM Raipur	1	3
		Gram Nyayalay Suwana	2	2
		Total		59
10	Bikaner	Bikaner HQ	1	13
	TLSC	Khajuwala	1	4
		Nokha	2	4
		Shri Dungeregarh	3	4
		Kolayat	4	5
		Lunkaransar	5	5
	New Esstablished Court (Where TLSC has not been Formed)	Cj & JM Chattargarh	1	3
		Total		38
	Bundi	Bundi HQ	1	8

11	TLSA	Hindoli	1	3
		Nainwan	2	5
		Lakheri	3	3
		Indergarh	4	2
		K.Patan	5	2
		Talera	6	3
Total			26	
12	Chittorgarh	Chittorgarh HQ	1	5
	TLSC	nimbahera	1	6
		begun	2	5
		badisadari	3	4
		kapasan	4	7
		rawatbhata	5	4
		dungla	6	4
		gangrar	7	3
		rashmi	8	4
	New Esstablished Court (Where TLSC has not been Formed)	jm mandfiya	1	5
		gram nyayalay bhadesar	2	4
Total			51	
13	Churu	Churu HQ	1	12
	TLSC	Ratangarh	1	6
		Sujangarh	2	10
		Rajgarh	3	6
		Sardarshahar	4	5
		Taranagar	5	5
	New Esstablished Court (Where TLSC has not been Formed)	Judicial magistrate Bidasar	1	2
Total			46	
14	Dausa	Dausa HQ	1	12
	TLSC	Lalsot	1	6
		Sikrai	2	6
		Mahwa	3	7
		Bandikui	4	6
Total			37	
15	Deedwana	deedwana HQ	1	10
	TLSC	Parbatsar	1	6
		Kuchaman	2	4
		Makrana	3	4
		Ladnun	4	4
		Nawa	5	2
Total			30	
16	Deeg	Deeg HQ	1	5
	TLSC	Kaman	1	6
		Nagar	2	8
	(New Estbablished) court where Tlsc has not been formed	kumher	3	7
Total			26	
	Dholpur	Dholpur HQ	1	15
	TLSC	Bari	1	6

17	TLSC	Rajakhera	2	5
	New Esstablished Court (Where TLSC has not been Formed)	Saipu	1	2
		Baseri	2	2
		Sarmathura	3	1
Total				31
18	Dungarpur	Dungarpur HQ	1	7
	TLSC	Sagwara	1	13
		Aspur	2	2
		Simalwara	3	3
		GN Bichhiwara	4	2
Total				27
19	Ganganagar	Ganganagar HQ	1	17
	TLSC	Surtgarh	1	6
		Gharsana	2	4
		Shri karnpur	3	5
		Shri vijaynagar	4	5
		Padampur	5	5
		Shadulsahar	6	5
		Anoopgarh	7	6
		Raisinghnagar	8	9
	Total			
20	Hanumangarh	Hanumangarh HQ	1	15
	TLSC	Bhadra	1	7
		nohar	2	7
		rawatsar	3	6
		tibbi	4	5
		sangria	5	6
		pilibanga	6	5
	New Esstablished Court (Where TLSC has not been Formed)		1	0
Total				51
21	Jaipur District	Jaipur District HQ	1	12
	TLSC	SAMBHAR	2	9
		SHAHPURA	3	6
		DUDU	4	2
		CHOMU	5	5
	New Esstablished Court (Where TLSC has not been Formed)	JAMWARAMGARH	6	2
		PHAGI	7	2
		KISHANGARH RENWAL	8	5
Total				43
22	Jaipur metro-I	Jaipur metro-I HQ	1	34
	New Esstablished Court (Where TLSC has not been Formed)	sanganer	1	6
		bassi	2	3
		chaksu	3	2
Total				45
23	Jaipur metro-II	Jaipur metro-II HQ	1	44
	TLSC	TLSC has not been	1	3
		TLSC has not been	2	2

Total				49
24	Jaiselmer	Jaiselmer HQ	1	10
	TLSC	Pokran	2	6
Total				16
25	Jalore	Jalore HQ	1	10
	TLSC	Bhinmal	1	9
		Sanchoe	2	5
		Raniwara	3	5
	New Esstablished Court (Where TLSC has not been Formed)	CJ & JM Ahore	1	4
Total				33
26	Jhalawar	Jhalawar HQ	1	15
	TLSC	Aklera	1	15
		Bhawanimandi	2	21
		Choumehala	3	8
		Khanpur	4	10
		Pirawa	5	5
	New Esstablished Court (Where TLSC has not been Formed)	Manoharthana	1	2
		Jhalra Patan	2	2
Total				78
27	Jhunjhunu	Jhunjhunu HQ	1	12
	TLSC	Khetri	1	5
		Chirawa	2	6
		Pilani	3	3
		Nawalgarh	4	2
		Udaipurwati	5	2
	New Esstablished Court (Where TLSC has not been Formed)	JM Surajgarh	1	2
		JM Buhana	2	2
Total				34
28	Jodhpur District	Jodhpur District HQ	1	4
	TLSC	TLSC Bilara	1	6
		TLSC Pipar City	2	5
		TLSC Balesar	3	3
		TLSC Osian	4	3
	New Esstablished Court (Where TLSC has not been Formed)	Bhopalgarh	1	2
Total				23
29	Jodhpur Metro	Jodhpur Metro HQ	1	50
Total				50
30	Karauli	Karauli HQ	1	10
	TLSC	TLSC Hindaun city	1	18
		TLSC Shri mahaveerji	2	4
		TLSC Todabheem	3	5
	New Esstablished Court (Where TLSC	JM Sapotra	1	4

	has not been Formed)	JM Nadauti	2	4
Total				45
31	Khairthal	Khairthal HQ	1	10
	TLSC	Kishangarhbas	1	3
		Tijara	2	5
		Mundawar	3	5
Total				23
32	Kota	Kota HQ	1	5
	TLSC	1.TLSC Ramganjmandi	1	11
		2. TLSC Kanwas	2	3
		3. TLSC Sangod	3	5
		4. TLSC Deegod	4	6
		5. TLSC Itawa	5	5
Total				35
33	Kotputali	Kotputali HQ	1	6
	TLSC	Beharor	1	5
		Bansur	2	6
		Viratnagar	3	5
	New Esstablished Court (Where TLSC has not been Formed)	Paota	1	2
		Neemrana	2	2
Total				26
34	Merta	Merta HQ	1	16
	TLSC	Nagaur	1	17
		Degana	2	3
		Jayal	3	5
	New Esstablished Court (Where TLSC has not been Formed)	khinvsar(New court)	1	3
Total				44
35	Phalodi	Phalodi HQ	1	5
	New Esstablished Court (Where TLSC has not been Formed)	Lohawat, new Court	1	3
		Baap, new Court	2	3
Total				11
36	Pali	Pali HQ	1	10
	TLSC	Bali	1	6
		Sojat	2	6
		Sumerpur	3	6
		Desuri	4	12
		Marwar Junction	5	5
	New Esstablished Court (Where TLSC has not been Formed)	JM, Sadri	1	2
		JM, Rani	2	2
Total				49
37	Pratapgarh	Pratapgarh HQ	1	10
	TLSC	Choti Sadri	1	5
		Dhariyawad	2	5

	New Esstablished Court (Where TLSC has not been Formed)	Arnod	1	5
Total				25
38	Rajsmmand	Rajsmmand HQ	1	5
	TLSC	Nathdwara	1	9
		Bhim	2	5
		Deogarh	3	5
		Railmagra	4	5
		Amet	5	5
		Kumbhalgarh	6	5
Total				39
39	Salumbar	Salumbar HQ	1	5
	TLSC	sarada	1	2
Total				7
40	Sawai Madhopur	Sawai Madhopur HQ	1	10
		TLSC Gangapur City	1	12
		TLSC Bamanwas	2	2
		TLSC Bonli	3	3
		TLSC Khandar	4	5
	New Esstablished Court (Where TLSC has not been Formed)	Chauth Ka Barwada	1	1
Total				33
41	Sikar	Sikar HQ	1	6
	TLSC	Neemkathana	1	10
		Shrimadhampur	2	4
		Fatehpur	3	4
		Laxmangarh	4	4
		Dantaramgarh	5	6
		Reengus	6	2
	New Esstablished Court (Where TLSC has not been Formed)	JM Dhod	1	2
JM Khandela		2	2	
Total				40
42	Sirohi	Sirohi HQ	1	12
	TLSC	Shivganj	1	8
		Aburoad	2	8
		Pindwara	3	8
		Rewadar	4	6
		Mount Abu	5	4
Total				46
43	Tonk	Tonk HQ	1	7
	TLSC	Malpura	1	8
		Newai	2	5
		Uniara	3	3
		Deoli	4	4
		Todaraisingh	5	5

	New Esstablished Court (Where TLSC has not been Formed)	Dooni	1	1
		Piplu	2	2
Total				35
44	Udaipur	Udaipur HQ	1	10
	TLSC	jhadol	1	3
		Mavli	2	5
		Vallabhnagr	3	3
		Kotra	4	3
		Kanor	5	3
		bhinder	6	3
		Gogunda	7	3
		Kherwada	8	5
Total				38
Grand Total				1650